न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

उपस्थितः– भानु देव शर्मा, (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या:–127/2022

पंजीयन संख्या:–411/2022

CNR No.UPRP010026492022

उत्तर प्रदेश राज्य	**प्रति**	1–वीर सिंह पुत्र यादराम, 2–संजय पुत्र वीर सिंह, 3–अरविन्द पुत्र वीर सिंह, 4–नन्हें उर्फ जितेन्द्र पुत्र वीर सिंह, निवासीगण ग्राम रामनगर, थाना पटवाई, जिला रामपुर।

सत्र परीक्षण का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

मुकदमा अपराध संख्या	48/2018
अन्तर्गत धारा	323, 504, 308 भारतीय दण्ड संहिता
थाना	पटवाई
जिला	रामपुर, (उ०प्र०)
आरोप पत्र प्रेषित किए जाने की तिथि	17–05–2018
सत्र सुपुर्दगी की तिथि	25–04–2022

अभियोजन की ओर से	जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्तगण की ओर से	1–श्री बलवीर बहादुर सक्सैना , एडवोकेट

निर्णय

1– अभियुक्तगण वीर सिंह, संजय, अरविन्द व नन्हें उर्फ जितेन्द्र के विरूद्ध सत्र

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.06.09 14:43:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परीक्षण संख्या–127/2022, मुकदमा अपराध संख्या–48/2018, अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भा०दं० संहिता, थाना पटवाई, जिला रामपुर द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा दिनांक 24–04–2022 को विचारण करने हेतु सेशन सुपुर्द किया गया।

2– प्रस्तुत सत्र परीक्षण सं०–127/2022 के उदभूत तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा आसिफ पुत्र मल्लन, निवासी रामनगर, थाना पटवाई, रामपुर द्वारा थाना शाहबाद पर मौखिक सूचना इस आशय की दी गई कि दिनांक 16–02–2018 को समय 06.00 बजे मैं अपनी बहन के यहॉ से वापस आ रहा था तो रास्ते में वीर सिंह के घर के सामने पहुंचा तो वीर सिंह रोककर गाली–गलौज करने लगा तो मैने मना किया तो मेरा भाई ईस्माईल वरसीन काटने जा रहा था तो मेरी आवाज सुनकर वीर सिंह के घर के सामने आ गया तो वीर सिंह पुत्र यादराम, संजय, अरविन्द व नन्हें पुत्रगण वीर सिंह ने मेरे भाई इस्माईल को मिलकर लाठी–डण्डों से बुरी तरह से मारापीटा तथा बुरी तरह से मेरे भाई के चोट आई है तथा गांव की भीड़ देखकर मुल्जिमान भाग गए। वादी मुकदमा की उक्त मौखिक सूचना पर थाना शाहबाद पर एन०सी०आर०सं० 13/2018, अंतर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं० पंजीकृत की गई।

3– मामले में चुटैहिल ईस्माईल की चिकित्सीय आख्या के आधार पर मामले में धारा 308 भा०दं०सं० की वृद्धि करते हुए मामले को मु०अ०सं० 48/2018, धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनांक 18–02–2018 को समय 10.12 बजे अभियुक्तगण वीर सिंह, संजय, अरविन्द व नन्हें के विरुद्ध कायम किया गया तथा मुकदमे का खुलासा उसी दिन थाना के रोजनामचा आम की रपट संख्या–16 दिनांक 18–02–2018 को समय 10.12 बजे अंकित किया गया।

4– मामले की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक कुंवरपाल सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचक ने वादी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किए। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 तैयार किया। मामले में विवेचना उपरान्त संकलित समस्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण वीर सिंह, संजय, अरविन्द व नन्हें के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–6 अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं०, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर में दाखिल किया गया।

5– पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य में चुटैहिल ईस्माईल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–1, जी०डी० सं० 56 दिनांकित 16–02–2018 प्रदर्श क–2, प्रथम सूचना रपट प्रदर्श क–3, जी०डी०कायमी मुकदमा सं० 16 दिनांकित 18–02–2018 प्रदर्श क–4, नक्शानजरी प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6 उपलब्ध है।

6– सत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण वीर सिंह, संजय, अरविन्द व नन्हें के विरूद्ध धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं० सं० विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

7– अभियोजन ने अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्षी के रूप में निम्न प्रकार साक्षी परीक्षित कराए हैं–

साक्षी का क्रम	**साक्षी का नाम**	**वह तथ्य जो अभियोजन साबित कराना चाहता है।**	**साबित कराया गया अभिलेख।**
पी०डब्लू० 1	आसिफ उर्फ आसिक	लगाए गए आरोप के तथ्य	
पी०डब्लू० 2	जाने आलम	लगाए गए आरोप के तथ्य	
पी०डब्लू० 3	ईस्माईल	लगाए गए आरोप के तथ्य	चुटैहिल साक्षी
पी०डब्लू० 4	जमील अहमद		
पी०डब्लू० 5	डा०विनोद कुमार	चिकित्सीय परीक्षण आख्या चुटैहिल ईस्माईल	चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–1
पी०डब्लू० 6	हे०कां० श्योराज सिंह	जी०डी०/चिक प्र०सू०रि०लेखक	जी०डी०कायमी मुकदमा एन०सी०आर० प्रदर्श क–2, चिक

			एफ०आई०आर० प्रदर्श क–3, जी०डी०तरमीमी मुकदमा प्रदर्श क–4, नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य इस प्रकार है:–

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 आसिफ उर्फ आसिक ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि आज से लगभग छःसाल पहले शाम के 05.30 बजे की घटना है। मैं अपने खेत से वापस अपने घर आ रहा था। जब मैं वीर सिंह के घर के पास रास्ते पर पहुंचा तो मेरी वीर सिंह से कहा–सुनी हो गई थी। कहा–सुनी के दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसी दौरान मेरा बड़ा भाई ईस्माईल मौके पर आ गया था। भीड़ में किसी ने मेरे बड़े भाई के सिर में डण्डा मार दिया जिससे मेरे भाई के सिर में चोट लगी थी। मेरे भाई के सिर में डण्डा किसने मारा था, मैने नहीं देखा था। मेरे भाई ईस्माईल के सिर के अलावा और कहीं चोट नहीं आई थी। मैं इस घटना की रपट कराने थाने गया था। मैने थाने पर लिखकर कोई तहरीर नहीं दी थी। मैने पुलिस को केवल अपने भाई के चोट लगने के बारे में बताया था। मैने पुलिस को मेरे भाई के साथ मारपीट करने वालों के नाम नहीं बताए थे। मेरे भाई का मेडिकल जिला सरकारी अस्पताल, रामपुर में हुआ था। मेरे भाई का इलाज अस्पताल में भर्ती रहकर हुआ था। कितने दिन भर्ती रहे थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे भाई के सिर की हड्डी नहीं टूटी थी। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिए थे।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 2 जाने आलम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है कि किस तारीख व किस समय की घटना है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि आज से कितने दिन पहले की घटना है। घटना के समय में रामपुर में काम कर रहा था। इस्माइल व आरिफ मेरे चचेरे भाई हैं। इस घटना से पहले इस्माइल व आरिफ की किससे कहा–सुनी हुई थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है

कि इस्माइल व आरिफ से कोई रंजिश रखता था या नहीं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि घटना वाली दिनाँक व समय पर आरिफ कहाँ से आ रहा था। मुझे यह भी नहीं मालूम की इस्माइल के साथ किसने मारपीट की थी। मारपीट की घटना के समय में रामपुर में काम कर रहा था। इस्माइल को मैं अस्पताल लेकर नहीं गया था। इस्माइल का अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे की रपट किसने लिखायी थी। इस घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिए थे।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 3 ईस्माईल, जो कि प्रकरण का चुटैहिल है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग 6 साल पहले शाम के 6 बजे की है। घटना वाली दिनाँक व समय को मैं अपने खेत से बरसीम लेकर आ रहा था तो रास्ते में अभियुक्त संजय व नन्हे से मेरी कहा सुनी हो गयी थी। यह कहा सुनी मेरे छोटे भाई के खेत की मेढ़ को लेकर हुई थी। इसी दौरान मुल्जिमान ने मुझे चाँटा मार दिया और में भी मुल्जिमान से लिपट गया था। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी और उस भीड़ में से किसी ने मेरे सिर में डंडा मार दिया था। इस डंडा लगने से मेरे सिर में चोट आयी थी, और किसी जगह चोट नहीं आयी थी। मौके पर बाद में वीर सिंह, व अरविन्द भी आ गये थे। मुझे घटना में आयी चोटों का सरकारी अस्पताल रामपुर में मेडिकल व इलाज हुआ था। घटना में आयी चोटों के इलाज के लिए मैं सरकारी अस्पताल में लगभग 10–15 दिन भर्ती रहा था। इसका अलावा मेरा और कहीं इलाज नहीं हुआ था। जिला अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी मेरा इलाज स्यौहारा बाजे में चला था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके मेरे बयान लिए थे।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–4 जमील अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 16.02.2018 को मैं अपने घर पर मौजूद था। मैंने घटना वाली दिनाँक पर इस्माईल के साथ किसी को मारपीट करते नहीं देखा था और न ही किसी के द्वारा इस्माईल को बचाते हुए देखा था। मुझे इस्माईल के साथ किसी तरह की घटना कारित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही मुझे इस बात की जानकारी है कि इस्माईल को कोई चोट आयी थी या नहीं। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे कोई बयान नहीं लिए थे।

13– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० विनोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 16.02.2018 को मैं जिला चिकित्सालय रामपुर में आकस्मिक चिकित्साधीकारी के पद पर कार्यरत था। उसी दिन समय 7.55 पी०एम० इस्माइल उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र मल्लन निवासी ग्राम रामनगर थाना पटवाई जिसको उसका चचेरा भाई जाने आलम लेकर आया था तथा चुटैल के बारे में अवगत कराया था कि चुटैल का एक्सीडेन्ट हुआ है। चुटैल के शरीर पर आयी चोटों का मेरे द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। चुटैल के शरीर पर निम्न चोटें पायी गई–

चोट सं० 1– कटा हुआ घाव 1 cm x 0.25 cm खाल तक गहरा, गर्दन के दाहिनी तरफ दाहिने कान के 4 cm नीचे।

चोट सं० 2– लाल नीलगू निशान 2cmx2cm दाहिने गाल पर दाहिनी निचली पलक के 4 नीचे।

चोट सं० 3– traumatic swelling 4cm x 4cm सीने के दाहिनी तरफ दाहिनी निप्पल के एकदम नीचे चोट को जेरे निगरानी रखा गया व एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया गया।

चोट सं० 4– चुटैल दाहिनी भुजा में दर्द भी बताता था।

सभी चोटें किसी कुन्द हथियार से आना प्रतीत होती है। सभी चोटें साधारण हैं व ताजा है।

पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6क/6 प्रमाणित छायाप्रति चिकित्सीय आख्या इस्माईल को न्यायालय जिला चिकित्सालय रामपुर से तलब किये गये मूल पंजिका एक्सीडेंटल रजिस्टर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल रामपुर दिनांकित 14.02.2018 से दिनाँक 05.04.2018 के पेज नं०–6 से मिलान किया गया जो कि पावली पर उपलब्ध प्रमाणित छायाप्रति चिकित्सीय आख्या की मूल है। जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर चुटैल का निशानी अंगूठा प्रमाणित किया गया है। पत्रावली पर छायाप्रति चिकित्सीय आख्या इस्माईल पर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से औपचारिक साक्षी पी०डब्लू०–6 हे०कां० श्योराज सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 16.02.2018 को मैं थाना पटवाई जनपद रामपुर में बतौर कान्सटेबल पूर्क के पद पर

तैनात था। उक्त दिनाँक पर वादी मुकदमा आसिफ पुत्र मल्लन निवासी रामनगर थाना पटवाई जनपद रामपुर की हस्तलिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा एन.सी.आर. नम्बर 13/2018 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा.द.सं. बनाम वीर सिंह व तीन अन्य के विरुद्ध पंजीकृत की गयी थी जिसका इन्द्राज जी.डी. सं. 56 पर दिनाँक 16.02.2018 को समय 21:42 बजे किया गया था। दिनाँक 18.02.2018 को एन०सी०आर० 13/2018 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा०द०सं० से तरमीम कर मुकदमा अपराध सं० 48/2018 अन्तर्गत धारा 323, 504, 308 भा०द०सं० बनाम वीर सिंह व तीन अन्य पंजीकृत किया गया था। मुकदमा तरमीम का इन्द्राज जी०डी० सं० 16 पर दिनाँक 18.02.2018 को समय 10:12 बजे किया गया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 क/7 जी०डी० को देखकर साक्षी ने बताया कि यह जी०डी० एन०सी०आर० पंजीकृत करने के समय दर्ज की गयी थी जिस पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 क/1 ता 3 क/ 4 चिक एफ०आई०आर० को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही चिक चिक एफ०आई०आर० है जो कि मेरे द्वारा एन.सी. आर. को एफ०आई०आर० में तरमीम करने पर बोल–बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० पर बोल–बोलकर पंजीकृत करायी गयी थी। चिक चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 9 ख/8 जी०डी० को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही जी०डी० है जो कि मेरे द्वारा चिक चिक एफ०आई०आर० दर्ज करने के सम्बन्ध में सी०सी०टी०एन०एस० पर दर्ज करायी गयी थी। जी०डी० पर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया।

इस साक्षी ने पुनः मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि मैं थाना पटवाई जनपद रामपुर में नवम्बर 2016 से अगस्त 2018 तक बतौर कान्सटेबल कुर्क के पद पर तैनात रहा था। मेरी तैनाती के दौरान उपनिरीक्षक कुंवरपाल सिंह भी थाना पटवाई में तैनात रहे थे। अपनी तैनाती के दौरान मैंने उपनिरीक्षक कुंवरपाल सिंह को लिखते पढ़ते देखा था। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भली भांति पहचानता हूँ। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 5 क/1 नक्शा नजरी घटना स्थल को देखकर साक्षी ने बताया कि यह नक्शा नजरी उपनिरीक्षक कुंवरपाल सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–5 अंकित किया गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं०–4 क/1 ता 4 क/8 आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने उस पर मौजूद हस्ताक्षर के सम्बन्ध के पहचान कर

बताया कि यह हस्ताक्षर उपनिरीक्षक कुंवरपाल सिंह के हैं। आरोप पत्र पर प्रदर्श क–6 अंकित किया गया।

15– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया है। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षी पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 2 द्वारा दिये गये बयान के बारे में कुछ नहीं कहना, पी०डब्लू० 3 के बयान में चांटा मारने का कथन गलत बताते हुए शेष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की, पी०डब्लू० 5 द्वारा चुटैल व उसके परिवार से मिलकर गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना बताया। पी०डब्लू० 6 के बयानों के संबंध में चिक व जी०डी० गलत दर्ज करना बताया तथा विधि विरूद्व रूप से आरोप पत्र व नक्शानजरी साबित करना बताया। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया। अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया है कि उन्हें गांव की रंजिश व पार्टीबन्दी की वजह से झूठा फंसा दिया है।

16– अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में कोई मौखिक अथवा प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

<u>उभय पक्षों के तर्क–</u>

17– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क है कि अभियोजन के साक्ष्य से आरोपित अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता पूर्ण रूप से साबित नहीं हुई है। चुटैहिल साक्षी पी०डब्लू० 3 ईस्माईल ने आरोपित अभियुक्तगण द्वारा चांटा मारने का साक्ष्य दिया है और अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता से पूर्ण रूप से इन्कार नहीं किया है। आरोपित अभियुक्तगण द्वारा चुटैहिल को चोटें कारित की गई है, जिसको चिकित्सक साक्षी ने अपने साास्क्ष्य से पूर्णतः साबित किया है। अतःआरोपित अभियुक्तगण को लगाए गए अभियोग में दण्डित किया जाए।

18– अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपित अभियुक्तगण की घटना में संलिप्ता के तथ्य साबित नहीं हैं।

उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित नहीं है कि चुटैहिल को आरोपित अभियुक्तगण ने ही चोटें कारित की है। उनका यह भी तर्क है कि आरोपित अभियुक्तगण को गांव की पार्टीबन्दी के कारण उक्त अभियोग में रंजिशन

झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त तर्को के साथ उनकी ओर से अभियुक्तगण को लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किए जाने का तर्क रखा है।

19– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

20– प्रस्तुत मामले में चुटैहिल ईस्माईल को आई चोटों को साक्षी पी०डब्लू० 5 डा०विनोद कुमार ने साबित किया है। इस साक्षी के साक्ष्यानुसार चुटैहिल ईस्माईल को निम्नलिखित चोटों होना साबित किया हैं–

चोट सं० 1– कटा हुआ घाव 1 cm x 0.25 cm खाल तक गहरा, गर्दन के दाहिनी तरफ दाहिने कान के 4 cm नीचे।

चोट सं० 2– लाल नीलगू निशान 2cmx2cm दाहिने गाल पर दाहिनी निचली पलक के 4 नीचे।

चोट सं० 3– traumatic swelling 4cm x 4cm सीने के दाहिनी तरफ दाहिनी निप्पल के एकदम नीचे चोट को जेरे निगरानी रखा गया व एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया गया।

चोट सं० 4– चुटैल दाहिनी भुजा में दर्द भी बताता था।

सभी चोटें किसी कुन्द हथियार से आना प्रतीत होती है। सभी चोटें साधारण हैं व ताजा है।

21– अतः चिकित्सक साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित है कि चुटैहिल ईस्माईल को उपरोक्त चोटें कारित होना साबित है।

22– अब न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या चुटैहिल ईस्माईल को उपरोक्त चोटें आरोपित अभियुक्तगण द्वारा पहुँचायी गई थीं।

अभियोजन के तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन–

23– प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल 7 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

24– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 आसिफ ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि आज से लगभग छः साल पहले शाम के 05.30 बजे की घटना है। मैं अपने खेत से वापस अपने घर आ रहा था। जब मैं

वीर सिंह के घर के पास रास्ते पर पहुंचा तो मेरी वीर सिंह से कहा–सुनी हो गई थी। कहा–सुनी के दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसी दौरान मेरा बड़ा भाई ईस्माईल मौके पर आ गया था। भीड़ में किसी ने मेरे बड़े भाई के सिर में डण्डा मार दिया जिससे मेरे भाई के सिर में चोट लगी थी। मेरे भाई के सिर में डण्डा किसने मारा था, मैने नहीं देखा था। मेरे भाई ईस्माईल के सिर के अलावा और कहीं चोट नहीं आई थी। मैं इस घटना की रपट कराने थाने गया था। मैने थाने पर लिखकर कोई तहरीर नहीं दी थी। मैने पुलिस को केवल अपने भाई के चोट लगने के बारे में बताया था। मैने पुलिस को मेरे भाई के साथ मारपीट करने वालों के नाम नहीं बताए थे। मेरे भाई का मेडिकल जिला सरकारी अस्पताल,रामपुर में हुआ था। मेरे भाई का इलाज अस्पताल में भर्ती रहकर हुआ था। कितने दिन भर्ती रहे थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे भाई के सिर की हड्डी नहीं टूटी थी। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिए थे।

इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित किया गया है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि इस घटना से पहले मुल्जिमान से कोई रंजिश नहीं थी। मैं नहीं बता सकता कि जिस जगह वीर सिंह से मेरी कहा–सुनी हुई थी, तब वहॉ कौन–कौन आ गया था। क्योंकि वहॉ बहुत भीड़ थी। मैं व मुल्जिमान एक ही गांव के रहने वाले हैं। मौके पर भीड़ में आसपास के लोग थे। भीड़ में मौजूद किसी भी व्यक्ति का नाम मैं नहीं बता सकता। मेरे व मुल्जिम के घर के बीच में 10–12 घरों का फासला है। मैं, मेरे व मुल्जिमान के बीच रहने वालों को नहीं जानता हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि इस मुकदमें में मुल्जिमान जेल गए थे या नहीं।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि यह बात सही है कि मैने थाने में किसी भी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था। पुलिस मौके पर नहीं आई थी। जब अदालत से मेरे समन गए तब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि पुलिस ने वीर सिंह आदि को इस मुकदमें में मुल्जिम बनाया है।

गवाह को उसके बयान धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाए गए तो गवाह ने बताया कि मैने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि जिस समय मेरी कहासुनी वीर सिंह से हो रही थी उस समय वीर सिंह खाली

हाथ थे और उनके बेटे अरविन्द आदि से कोई कहासुनी नहीं हुई, क्योंकि वह मौके पर नहीं थे।

25– अतः स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 आसिफ के उक्त साक्ष्य से आरोपित अभियुक्तगण द्वारा चुटैहिल इस्माईल को सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी–डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया साधरण उपहित कारित करने, गाली गलौज करने एवं ऐसे आशय, ज्ञान एवं परिस्थितियों में लाठीडंडों से मारपीट कर प्राण घातक चोटे पहुंचाने जिससे कि उक्त चोटों के कारण चुटैहिल की मृत्यु कारित हो जाती के तथ्य पर कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है कि उसके भाई को आरोपित अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर चोटें पहुंचाई हो। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में आरोपित अभियुक्तगण से भिन्न भीड़ में से घटना करने और उसके परिणामस्वरूप चोटें आने का कथन किया है।

26– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 जाने आलम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है कि किस तारीख व किस समय की घटना है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि आज से कितने दिन पहले की घटना है। घटना के समय में रामपुर में काम कर रहा था। इस्माइल व आरिफ मेरे चचेरे भाई हैं। इस घटना से पहले इस्माइल व आरिफ की किससे कहा–सुनी हुई थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस्माइल व आरिफ से कोई रंजिश रखता था या नहीं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि घटना वाली दिनाँक व समय पर आरिफ कहाँ से आ रहा था। मुझे यह भी नहीं मालूम की इस्माइल के साथ किसने मारपीट की थी। मारपीट की घटना के समय में रामपुर में काम कर रहा था। इस्माइल को मैं अस्पताल लेकर नहीं गया था। इस्माइल का अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे की रपट किसने लिखायी थी। इस घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिए थे।

इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित किया गया है।

इस साक्षी से अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० 2 जाने आलम ने यह साक्ष्य दिया है कि इस्माइल और आरिफ मेरे सगे चचेरे भाई हैं। मेरा और इस्माइल व आरिफ का मकान बराबर में है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि घटना वाली दिनाँक को मैं गुड्डू भाई, जो कि इस्माइल के खलेरे भाई हैं, बरेली गेट पर काम कर रहा था। उस दिन काम से मैं 6:30 बजे शाम को घर पहुँचा था। जब में घर पहुँचा तो मुझे इस्माइल के साथ मारपीट किये जाने की जानकारी नहीं हुई थी, सुबह को जानकारी हो गयी थी। मुझे यह जानकारी मेरे बीबी–बच्चों ने दी थी। जानकारी होने पर सुबह को मैं इस्माइल व आरिफ के घर भी गया था और अस्पताल भी देखने गया था।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि ईस्माईल ने मुझे नहीं बताया था कि उसके साथ किसने मारपीट की थी। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा था कि ऐसे ही मारपीट हो गयी, झगड़ा हो गया।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि इस्माइल ने मुझे मारपीट करने वालों के नाम नहीं बताये थे। मैं मुल्जिमान वीर सिंह, संजय, अरविन्द व नन्हे को जानता हूँ। ये लोग मेरे गाँव के ही रहने वाले हैं। ये लोग मेरे घर से काफी दूरी पर रहते हैं। मेरा मुल्जिमान के घर आना–जाना है। इस्माइल के साथ मारपीट वाले मुकदमे में मुल्जिमान जेल गये थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान घटना के कितने दिन बाद जेल गए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान जेल सही गए थे या गलत गए थे।

इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं०से इन्कार किया है।

27– उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त पी०डब्लू० 2 जाने आलम घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वह घटना वाले दिन बरेली गेट पर गुडडू भाई के यहॉ काम कर रहा था। उसे यह भी नहीं पता कि ईस्माइल के साथ किसने मारपीट की थी। इस साक्षी पी०डब्लू० 2 जाने आलम के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है।

28– अतः अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 जाने आलम की घटनास्थल पर उपस्थिति और घटना को देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप साबित नहीं होते है।

29– अभियोजन की ओर से परीक्षित चुटैहिल साक्षी पी०डब्लू० 3 ईस्माईल इस घटना का चुटैहिल साक्षी है। इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। इस साक्षी ने

अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग 6 साल पहले शाम के 6.00 बजे की है। घटना वाली दिनाँक व समय को मैं अपने खेत से बरसीम लेकर आ रहा था तो रास्ते में अभियुक्त संजय व नन्हे से मेरी कहा सुनी हो गयी थी। यह कहा सुनी मेरे छोटे भाई के खेत की मेढ़ को लेकर हुई थी। इसी दौरान मुल्जिमान ने मुझे चाँटा मार दिया और में भी मुल्जिमान से लिपट गया था। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी और उस भीड़ में से किसी ने मेरे सिर में डंडा मार दिया था। इस डंडा लगने से मेरे सिर में चोट आयी थी और किसी जगह चोट नहीं आयी थी। मौके पर बाद में वीर सिंह व अरविन्द भी आ गये थे। मुझे घटना में आई चोटों का सरकारी अस्पताल रामपुर में मेडिकल व इलाज हुआ था। घटना में आई चोटों के इलाज के लिए मैं सरकारी अस्पताल में लगभग 10–15 दिन भर्ती रहा था। इसका अलावा मेरा और कहीं इलाज नहीं हुआ था। जिला अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी मेरा इलाज स्यौहारा बाजे में चला था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके मेरे बयान लिए थे।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के बाद मैं थाने नहीं गया था। मेरा भाई थाने गया था। उसने क्या मुकदमा लिखाया था, यह मुझे नहीं मालूम।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि मैने पुलिस को यह नहीं बताया था कि मुझे अरविन्द, वीर सिंह, नन्हें व संजय ने मारा है। कहासुनी के समय 50–100 लोग इकट्ठा हो गए थे।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि संजय का विवाद मेढ़ को लेकर मुझसे नहीं था, मेरे भाई आसिफ से था। इस कहासुनी से पहले इन लोगों से मेरी कभी कोई कहासुनी नहीं हुई थी।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि मैं जब तक अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती रहा, तब तक कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया। मैं कभी थाने नहीं गया था।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि मेरे अरविन्द, वीर सिंह, नन्हें व संजय ने किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की थी। मेरा पुलिस वालों ने कभी कोई बयान नहीं लिया था, न ही अस्पताल में न ही थाने में और

न ही कहीं और।

30– विधि की दृष्टि में चुटैहिल साक्षी सर्वोत्तम साक्षी है। उसके साक्ष्य पर सामान्य रूप से अविश्वास नहीं किया जा सकता। चुटैहिल साक्षी पी०डब्लू० 3 ईस्माईल ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना वाली दिनांक व समय को वह अपने खेत से बरसीम लेकर आ रहा था तो रास्ते में संजय व नन्हें से उसकी कहासुनी हो गई थी। यह कहासुनी उसके भाई की मेढ़ को लेकर हुई थी। इसी दौरान मुल्जिमान ने उसके चांटा मार दिया और वह भी मुल्जिमान से लिपट गया था। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और भीड़ में से किसी ने उसके सिर में डण्डा मार दिया था। डण्डा लगने से उसके सिर में चोट आई थी और किसी जगह चोट नहीं आई थी। मौके पर बाद में वीर सिंह व अरविन्द भी आ गए थे। घटना में आई चोटों का इलाज व मेडिकल जिला अस्पताल रामपुर में हुआ था। घटना में आई चोटों के इलाज के लिए वह सरकारी अस्पताल में 10–15 दिन भर्ती रहने का साक्ष्य दिया है। अतः स्पष्ट है कि चुटैहिल साक्षी पी०डब्लू० 3 ईस्माईल के साक्ष्य से आरोपित अभियुक्तगण द्वारा उसे लाठी–डण्डों से मारने का तथ्य साबित नहीं होता है।

31– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Balu Sudam Khalde & Another Vs. Maharashtra, Criminal Appeal No. 1910/2010 Judgement dated 29–03–2023** 'The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly'.

32– आपराधिक न्याय विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी साक्षी के साक्ष्य को उसकी विश्वसनीयता एवं ग्राहयता के आधार पर ही आरोपों को साबित या नासाबित किया जा सकता है। आरोपों को साबित या नासाबित करने के लिए किसी साक्ष्य के आंशिक भाग को स्वीकार करने अथवा शेष साक्ष्य को विश्वसनीय व ग्राहय होते हुए अस्वीकार करने का कोई न्यायिक सिद्धान्त नहीं है। इस मामले में चुटैहिल साक्षी ईस्माईल या किसी तथ्य के साक्षी ने घटना में आरोपित अभियुक्तगण की संलिप्तता/आरोपों को साबित करने के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

33– इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित चुटैहिल साक्षी पी०डब्लू० 3 ईस्माईल के सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से इस साक्षी को आरोपित अभियुक्तगण द्वारा

डण्डा मारकर चोटें पहुंचाने का तथ्य साबित नही होता है।

34– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 4 जमील अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 16.02.2018 को मैं अपने घर पर मौजूद था। मैंने घटना वाली दिनाँक पर इस्माईल के साथ किसी को मारपीट करते नहीं देखा था और न ही किसी के द्वारा इस्माईल को बचाते हुए देखा था। मुझे इस्माईल के साथ किसी तरह की घटना कारित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही मुझे इस बात की जानकारी है कि इस्माईल को कोई चोट आयी थी या नहीं। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे कोई बयान नहीं लिए थे।

इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित किया गया है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि मैं दूध का काम करता हूँ। मैं गाँव से दूध दुलवाकर लाता हूँ और शहर में बाँटता हूँ। मैं सुबह दूध निकलवाता हूँ और शाम तक बेचता हूँ। दूध बाँटने के बाद मैं अपने घर रहता हूँ। इस्माईल मेरे गाँव का रहने वाला है। इस्माईल मेरे घर से लगभग 200–300 गज की दूरी पर रहता है। इस्माईल के घर बहुत कमी से मेरा आना जाना है। त्यौहारों व दुख तकलीफ में इस्माईल के घर आना जाना हो जाता है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि मुझे घटना वाली तारीख पर इस्माईल को चोटें लगी थी, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना के दूसरे तीसरे दिन मुझे पता लगा था कि इस्माईल को चोट लगी है। इस्माईल को चोट कैसे लगी थी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। चोट लगने पर मैं इस्माईल को उसके घर पर देखने गया था। इस्माईल ने मुझे नहीं बताया था कि उसे चोट कैसे लगी और न मैंने उससे पूछा था। मुझे नहीं पता कि इस्माईल को कहाँ–कहाँ चोट लगी थी।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि मैं वीर सिंह, अरविन्द, संजय व नन्हें को जानता हूँ। ये मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं। इस्माईल के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुल्जिमान मेरे घर से लगभग 300–400 मीटर दूर रहते हैं। मेरा मुल्जिमानों के घर भी आना जाना है। मुझे इस बात की जानकारी है कि मुल्जिमान इस मुकदमे में जेल गये थे।

गवाह को उसका बयान धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने बताया कि उसने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया, कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता।

35– इस साक्षी के मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में आरोपित अभियुक्तगण द्वारा चुटैहिल इस्माईल को सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी–डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया साधरण उपहित कारित करने, गाली गलौज करने एवं ऐसे आशय, ज्ञान एवं परिस्थितियों में लाठीडंडों से मारपीट कर प्राण घातक चोटे पहुंचाने जिससे कि उक्त चोटों के कारण चुटैहिल की मृत्यु कारित हो जाती के तथ्य पर कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है कि ईस्माईल को आरोपित अभियुक्तगण द्वारा ही मारपीट कर चोटें पहुंचाई हो।इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप साबित नहीं होते है।

36– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपित अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप सभी संदेहों से परे साबित नहीं हुए हैं। अभियोजन का ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि निश्चायक रूप से यह साबित होता हो कि आरोपित अभियुक्तगण द्वारा इस घटना के कथित चुटैहिल को ऐसी चोटें पहुचाई थीं जिससे कि मृत्यु होना संभावित थी और ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपित अभियुक्तगण द्वारा अपमानित करने के आशय से कोई गाली–गलौज की थी।

37– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं है कि आरोपित अभियुक्तगण द्वारा चुटैहिल को लाठी–डण्डों से ऐसी चोटें पहुचाई थी जिससे मृत्यु होना संभावित था। अभियोजन की ओर से ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपित अभियुक्तगण द्वारा चुटैहिलों को साधारण चोटें पहुंचाई थीं।

38– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के विवेचन के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं० साबित नहीं होते हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण को आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं०के अधीन दोषसिद्धि किया जाना सम्भव एवं सुरक्षित नहीं है।

39– अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेख के उक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपित अभियुक्तगण लगाये गये

आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण वीर सिंह, संजय, अरविन्द व नन्हें उर्फ जितेन्द्र को सत्र परीक्षण संख्या–127/2022, मुकदमा अपराध संख्या–48/2018, थाना–शाहबाद, जिला रामपुर में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके बन्ध–पत्र व प्रतिभू–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अधीन, अपील की अवधि तक के लिये अथवा अपील योजित होने पर अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए 50,000/–, 50,000/–रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र आज ही दाखिल करेंगे और एक सप्ताह के अन्दर इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक:09–06–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
I.D.No–UP 6545

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक:09–06–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
I.D.No–UP 6545